शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2018/4089 भोपाल, दिनांक 4-7-18

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले म.प्र.

बेसलाईन टेस्टः मॉनीटरिंग व फालोअप परिपत्र क्र.–3

विषय– बेसलाईन टेस्ट फोलोअप सुनिश्चत करना।

संदर्भ– 1. राशिके का पत्र क्र. 3679 दिनांक 15.06.18 (बेसलाइन टेस्ट निर्देश)
2. राशिके का पत्र क्र. 3756 दिनांक 20.06.18 (बेसलाइन टेस्ट की मॉनीटरिंग व्यवस्था)
3. राशिके का पत्र क्र. 3844 दिनांक 22.6.18 (केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन के तहत शालाओं की मॉनीटरिंग)

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इसके अनुसार प्रदेश के सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कक्षा–3 से 8 में अध्ययपरत समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट का क्रियान्वयन 25–30 जून की अवधि में किया गया है। जो विद्यार्थी इस दौरान किसी कारण से बेसलाइन टेस्ट में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, उनके उपस्थित होते ही उनका बेसलाइन टेस्ट 10 जुलाई के पूर्व सुनिश्चत किया जाए। बेसलाइन टेस्ट पश्चात् निम्नानुसार फोलोअप गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं–

1. **समूह निर्धारण व दक्षता उन्नयन कक्षाओं का संचालन–** बेसलाइन टेस्ट में प्राप्त स्थिति के आधार पर समूह निर्धारण की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बच्चों के समूह निर्धारित किए जाएं। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत विषयवार दक्षता उन्नयन हेतु समूहवार कालखण्ड संचालित किए जाएं।
2. **'शाला मित्र' द्वारा की गई मॉनिटरिंग प्रपत्र की गूगल शीट में डाटा एण्ट्री, विश्लेषण व समीक्षा करना–** राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिले द्वारा जिले के शाला मित्रों, केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ, हेडमास्टर माध्यमिक शाला द्वारा आवंटित शालाओं में मॉनीटरिंग की गई है। इन शाला मित्रों द्वारा भरकर लाए गए निर्धारित मॉनीटरिंग प्रपत्र की राज्य द्वारा व्हाट्सअप पर प्रेषित गूगल शीट में डाटा एण्ट्री सुनिश्चित की जाए। गूगल शीट में की गई एण्ट्री में शालावार विश्लेषण की जानकारी जिले के लॉगिन पर उपलब्ध है।
3. **संकलित जानकारी में 'नहीं' वाले बिन्दुओं की समीक्षा व सुधार हेतु संबंधित शाला में पुनः निरीक्षण व गूगल शीट में पुनः डाटा एण्ट्री करना–** इस जानकारी में बिन्दुवार 'नहीं' रेस्पांस वाली शालाओं की समीक्षा की जाए। साथ ही 'नहीं' वाले संबंधित बिन्दु में सुधार हेतु पुनः निरीक्षण किया जाए और गूगल शीट में पुनः डाटा एण्ट्री की जाए, ताकि सुधार की स्थिति का आकलन किया जा सके।
4. **लापरवाही करने वाले अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग को सेवाएं वापस कर शून्य शिक्षकीय शालाओं में पदस्थ करने की कार्यवाही करना–** बेसलाइन टेस्ट परीक्षण के दौरान यदि किसी बी.आर.सी., बी.ए.सी. या सी.ए.सी. द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही की गई है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग को सेवाएं वापस करने की कार्यवाही करने के साथ–साथ शून्य शिक्षकीय शाला में पदस्थ किया जाए।

(लोकेश कुमार जाटव)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / 2018 / 4090 भोपाल, दिनांक 9-7-18

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र., भोपाल
7. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
12. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
13. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
14. प्राचार्य, डाइट / डीआरसी, समस्त, म.प्र.।
15. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले, म.प्र.।
16. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल